92 5 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) के निदेशक मंडल (बोर्ड) में गैर सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले लोगों के लिए मानदंड

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अपने दिनांक 01.09.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13(15) ईओ/2007 (एसीसी) के जरिए सीपीएसई के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ–साथ पात्रता मानदंडों के संबंध में एसीसी के निर्णय की सूचना देते हुए अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित की सूचना दी हैः

> ''निजी कंपनियों के बोर्ड स्तर से नीचे वाले उपयुक्त पेशेवर अथवा पूर्व सीईओ के उपलब्ध न होने की स्थिति में सीपीएसई के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों (एनओडी) के रूप में नियुक्ति के लिए ऐसी निजी कंपनियों के सेवारत सीईओ और निदेशकों पर भी विचार किया जा सकता है जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकृत (सूचीबद्ध) हैं। तथापि लोक उद्यम विभाग और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित पीएसयूके निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (एनओडी) के रूप में ऐसे सेवारत सीईओ की नियुक्ति पर हितों को लेकर कोई विवाद न हो। यहां तक कि यदि हित के संबंध में बाद में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसे सीपीएसई के ध्यान में लाया जाना चाहिए और संबंधित गैर सरकारी निदेशक (एनओडी) को निदेशक मंडल से तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए।''

2. सीपीएसई के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा यह सुनिश्चित करने के पश्चात की जाती है कि ऐसी नियुक्ति पर हित संबंधी कोई विवाद नहीं होगा।

4. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से एसीसी के उपर्युक्त निदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और उनके संगत प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आने वाले सीपीएसई के निदेशक मंडल में नियुक्त किए गए सभी गैर सरकारी निदेशकों की सूचना और अनुपालन के लिए इसे उनके ध्यान में लाने के लिए अनुरोध किया जाता है।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 9 (32)/2004–जीएम, दिनांक : 24 अगस्त 2012)

*****